बिहार में जमींदारी उन्मूलन : एक अध्ययन

डॉ0 रजनीश कुमार

जमींदारी व्यवस्था भूमि के स्वामित्व से जूड़ी एक राजनैतिक–सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें भूमि का स्वामित्व जमींदार के पास होता था। 22 मार्च 1793ई0 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के अनियमित राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू किया। इस अराजक व्यवस्था ने बिहार के सामाजिक जीवन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया और समाज में विकृतियाँ भी बढ़ा दी। किसान लगातार भूमि से बेदखल होने के साथ कर्जदार और सूदखोरों के जाल में फँसते गये। परिणामस्वरूप बिहार में किसान आंदोलन का जन्म हुआ जो आगे चलकर जातीय आंदोलन में रूपांतरित हो गया। किसान आंदोलन से बिहार का हर जिला प्रभावित रहा। किसान सभा के माध्यम से स्वामी सहजानंद सरस्वती और राहुल सांस्कृत्यायन ने किसानों का नेतृत्व किया। तत्पश्चात 1944 और 1948 में कृषि सुधारों से संबंधित कमेटी बनाई गई। कमेटी के अनुशंसा पर ही देश में भूमि सुधार के प्रयास हुए। 1947 में बिहार सरकार ने इससे संबंधित एक विधेयक पारित किया जिसपर गर्वनर जनरल की स्वीकृति 1948 में मिली। स्वीकृति के साथ ही बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून प्रकाशित हुआ। 1952 में बिहार भूमि सुधार कानून 1950 में लागू हुआ।